न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 39 / 2018

उनवान

1.बंशीधर पुत्र बिरदूराम

2.देवीसहाय पुत्र स्व0 किशनलाल

समस्त जाति अहीर निवासीयान नाथावाला –तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

– वादीगण

बनाम

1.फूलचंद पुत्र बिरदू

2.मुरलीधर पुत्र बिरदू

3.सीताराम पुत्र स्व.महादेव

4.धोलूराम पुत्र स्व. महादेव

5.सुल्तान पुत्र स्व.महादेव

6.पारा देवी पत्नी स्व. महादेव

समस्त व्यस्कान जाति अहीर निवासी नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

7.कोयली देवी पुत्री स्व. महादेव पत्नी छीतरमल जाति अहीर निवासी ढाणी तेजावाली तन अचरोल,तहसील आमेर जिला जयपुर(राज.)

8.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

9.उपपंजियक अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज.

10.पटवारी पटवार हल्का नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

–प्रतिवादीगण

11.केसरी देवी पत्नी स्व. किशनलाल(नाम हजफ आदेश दिनांक 25.09.2025)

12.भागीरथ पुत्र स्व. किशनलाल

13.बलवीर पुत्र स्व. किशनलाल

14.हरिसिंह पुत्र स्व. किशनलाल

समस्त व्यस्कान जाति अहीर निवासीयान ग्राम नाथावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

15.चांवली देवी पुत्री स्व.किशन पत्नी कैलाश ,जाति अहीर निवासी ढाणी तेजा वाला तन अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर(राज.)

16.मुकेश पुत्र तुलाराम

17.अणची पत्नी तुलाराम

18.राजु देवी पुत्री स्व. तुलाराम पत्नी सुणीलाल

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

19. मेवा देवी पुत्री स्व.तुलाराम पत्नी जयप्रकाश
जातियान अहीर निवासीयान बरडा की ढाणी तन मानगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला
सीकर(राज.)

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :– 25/9/25

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नाथावाला पटवार हल्का नाथावाला भू मेलेख निरीक्षण क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंम्बर .../0.19, 814/0.21, 820/0.05, 824/0.15, 826/0.16, 830/0.16, 831/0.12, 850/0.34, 852/0. 855/0.30 किता 10 रकबा 2.02है0 स्थित हैं रिकार्ड ऑफ राईटस सम्वत 2071 से 2074 के खाता ख्या नया 26 पुराना 167 के अन्तर्गत दर्ज इन्द्राज के अनुशरण में उक्त खसरा की भूमि मे वादी संख्या 1 हिस्सा 1/6 वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 15 का हिस्सा 1/6 ,तरतीबी तेवादी संख्या 16 लगायत 19 का हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या –1 का हि0 1/6 प्रतिवादी संख्या 2 का हि0 1/6 व प्रतिवादीगण संख्या –3 लगायत 7 को शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं माबंदी में दर्ज खातेदार किशनलाल फौत हो गया वादी संख्या –2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या –12 गायत 14 मृतक किशनलाल के पुत्रगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या –11 पत्नी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 पुत्री हैं यही मृतक के वारिस हैं व 1/6 भाग के खातेदार है। वादीगण तथा तरतीबी प्रतिवादीगण व तेवादी संख्या 1 लगा0 7 की बिलाबटी शामलाती आराजीयात हैं जिसका आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं आ हैं जबकि वादीगण अन्य सहखातेदारान के साथ शामिल में काबिज रहकर काश्त करते आये हैं तथा भी खातेदारान का आराजी मुतनाजा में प्रत्येक इंच इंच भाग पर कब्जा काश्त व हक अधिकार हैं ।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व तरतीबी प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज व अंकित चली आ रही है। इसलिए वादीगण ने समय–समय पर प्रतिवादीगण व अन्य सहखातेदारान को वाद अधिन मुतवादिया का विधिक विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्डस (सरस नरस) के आधार पर करवाने हेतु कहा । पूर्व में तो प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य सहखातेदारान वाद अधिन मुतवादिया का सरस –नरस के आधार पर कानूनी तकासमा करवाने हेतु हामी भरते रहे परन्तु सन 2013 मं जयपुर जिला की कृषि भूमियों व सडक के समीप वाली भूमियों के बाजार भाव आसमान छुने लगे हैं,इस लिए प्रतिवादीगण व अन्य सहखातेदान के मन में फितुर आ गया है। तथा वाद अधिन मुतवादिया का बिना विधिक विभाजन करवाये वाद ग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू भाग पर कब्जा कर पुख्ता तामीरात करने व विशिष्ट भू–भाग को बेचान कर मौका स्थिति में परिवर्तन करने की फिराक में थे जिनका उन्हें कोई भी कानूनी अधिकारी प्राप्त नही है। यह कि वादीगण के साथ प्रतिवादीगण आये दिन सीमा विवाद रास्ता डोल विवाद व विशिष्ट भू भाग सडक के समीप वाली भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने की सन–2013 में धमकी दी जिस कारण वादीगण का शामिल में रहकर काश्त करना संभव नहीं रहा हैं ।

प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके चलते वादीगण के काबिज काश्त में मजाहमत पैदा करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वादीगण प्रतिवादीगण के पास गये तथा सहमति से बंटवारा करवाकर नंबर अलग अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गया तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये जिन्होंने

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

काफी समझाईश की लेकिन कानूनी बंटवारा हेतु साफ तौर पर इंकार हो गया तथा एलानियां धमकी दी कि हम उक्त आराजी का किसी भी कीमत पर कानूनी बंटवारा नहीं होने देंगे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में भी मजाहमत पैदा करेंगे इस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबों में किसी कदर कामयाब हो गया तथा वादीगण को काश्त व उपयोग उपभोग नहीं करने दिया या माजहमद पैदा कर दिया या वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा वादीगण को अपनी आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा वादीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारों में परस्पर मुकदमें बाजी होगी।

अन्त में निवेदन किया कि हाल, राजस्व ग्राम नाथावाला पटवार हल्का नाथावाला भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंम्बर 812/0.19, ...3/0.21, 820/0.05, 824/0.15, 826/0.16, 830/0.16, 831/0.12, 850/0.34, 852/0.34, 855/0. ... किता 10 रकबा 2.02है0 स्थित हैं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार व बाहमी बंटवारा के अनुसार आराजी मुतनाजा का वादी व प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमों के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुए मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा में से वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत न तो वे स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट स्थानापन्न अथवा उत्तराधिकारियों से करावे जबकि वादी को शांति पूर्वक काबिज एवं आबाद रहकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करने देवे पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण पर तामील हो चुकी हैं जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया नकल दिलाई गई । अतः प्रकरण में दिनांक 25.05.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/838 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। ।प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रा0पत्र पेश किया गया व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की ओर से आपत्ति प्रा0पत्र पेश नही किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पूर्व में आपत्ति प्रा0पत्र पेश हो चुका हैं वकीलवादी की ओर से कोई जवाब प्रा0पत्र पेश नही किया गया न्याय हित में एक अवसर दिया गया । वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या–11,केशरी देवी पत्नी स्व0 किशनलाल का नाम हजफ प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिसको स्वीकार किया गया । वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की जिसे सुना गया एक अवसर दिया गया। आपत्ति कुर्रेजात सारहीन होने से खारिज किया गया । वकील वादी व अन्य प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की तथा बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट सही

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

ने से सहमति प्रदान कर दावा अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस मनन किया गया तथा पत्रावली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन रांत प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार वारा रिपोर्ट सही होना प्रतीत होता है । अतः दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम क्री किया जाता है कि ग्राम नाथावाला पटवार हल्का नाथावाला भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र शाहपुरा सील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंम्बर 812/0.19, 814/0.21, 820/0. 824/0.15, 826/0.16, 830/0.16, 831/0.12, 850/0.34, 852/0.34, 855/0.30 किता 10 रकबा है0 स्थित हैं भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

खाता संख्या	खातेदार का नाम कुर्रेजात अनुसार प्रविष्टी(प्रस्तावित)	खसरा नं0	रकबा
25	अणची देवी पत्नि तुलाराम हि0 1/4, मुकेश पुत्र तुलाराम हि0 1/4 ,मेवा देवी पुत्री तुलाराम हि0 1/4 राजू देवी पुत्री तुलाराम हि0 1/4 जाति अहीर सा0देह खातेदार	855/4 826 814/1	0.0360 0.1600 0.1400
		किता 3	0.3360
	किशनलाल पुत्र बिरदूराम हि0 पूर्ण सा.देह खातेदार जाति अहीर	855/3 812 824/1 820	0.0360 0.19 0.06 0.05
		कुल किता 4	0.3360
	कोयली देवी पुत्री महादेव हि0 1/5,धोलुराम पुत्र महादेव हि0 1/5,पारा देवी पत्नि महादेव हि0 1/5, सुल्तान पुत्र महादेव हि0 1/5,सीताराम पुत्र महादेव हि0 1/5, जाति अहीर(यादव)सा0देह खातेदार	855/2 850/1 831 824/2	0.0360 0.0900 0.12 0.09
		कुल किता 4	0.3360
	फूलचंद पुत्र बिरदूराम हि0 पूर्ण जाति अहीर(यादव) सा.देह खातेदार	855/1 852/1	0.12 0.22
		कुल किता 2	0.34

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी ... राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी

		मुरलीधर पुत्र बिरदूराम हि0 पूर्ण जाति अहीर(यादव) सा0देह खातेदार	855/5 852/2 850/3	0.0360 0.1200 0.1800
			कुल किता 3	0.3360
		बंशीधर पुत्र बिरदूराम हि0 पूर्ण जाति अहीर(यादव) सा. देह खातेदार	855/6 814/2 830 850/2	0.0360 0.0700 0.1600 0.0700
			कुल किता 4	0.3360

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज
ा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से
न्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं
। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा
में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो
त्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25/9/25 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदड़)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा,जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

कार्यालय ... खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (ज... ...स्थान